प्रेस नोट   19.02.2021

दिनांक 16.12.2019 को थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्तर्गत सीएए/सीएबी को लेकर हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन में संलिप्त 26 आरोपियों से छतिपूर्ति कुल 49 लाख 62 हजार 265 वसूलने का नोटिस जारी–

दिनांक 16.12.2019 को थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्तर्गत सीएए/सीएबी के विरोध में विधि विरुद्ध जमावड़े द्वारा राजकीय सम्पत्तियों/निजी सम्पत्तियों तथा निजी/राजकीय वाहनों को छति पहुंचायी गयी जिसमें निम्नलिखित आरोपियों द्वारा उपद्रवी समूह/भीड़ के साथ सीएए तथा सीएबी का विरोध करते हुये शोर मचाते हुये व नारेबाजी करते हुये मिर्जाहादीपुरा चौराहे पर पहुंचकर सड़क जाम कर दिये। एकत्रित भीड़ का पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समझाने बुझाने का अथक प्रयास किया गया परन्तु भीड़ हिंसात्मक होकर अधिकारियों व पुलिस पर ईंट पत्थर व पेट्रोल बम फेकने लगी और अवैध असलहों से फायर करने लगे जिससे पुलिस के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार व जनता के लोग घायल हो गये तथा अफरा–तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। लोग इधर–उधर भागने लगे इसका मौका पाते ही दंगाइयों द्वारा पत्रकार, आम जनता, एवं पुलिसकर्मियों की दर्जनों मोटर साईकिलों में आग लगा दिये तथा अन्य सरकारी चारपहिया वाहनों को भी छतिग्रस्त कर दिये। पुलिसकर्मियों एवं पत्रकारों के खड़े मोटरसाईकिल के डिग्गी में रखे मूल्यवान एवं इलेक्ट्रानिक सामानों व सरकारी अभिलेख अभियोग से सम्बन्धित केस डायरी आदि को दंगाई लूट ले गये, थाना दक्षिणटोला में भी आगजनी की गयी एवं सामानों को नुकसान पहुंचाया गया तथा विद्युत विभाग के राजस्व संग्रह केन्द्र में रखे कम्प्यूटर आदि को छतिग्रस्त किये, रोडवेज बस में तोड़फोड़ कर भारी छति पहुंचायी एवं आगजनी जैसी घटना को भी अंजाम दिये। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर निम्नलिखित 26 अभियुक्तों सहित अन्य व अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0सं0 246, 247, 249, 250/19 धारा 147,148,149,152,153,186,188,189, 323,323, 336, 341,352,353,307,395,427,435,504,506, 120बी भादवि व धारा 7 आपराधिक कानून अधि0, धारा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उक्त प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

उक्त प्रकरण में विभिन्न विभागों एवं निजी सम्पत्तियों की छति के सम्बन्ध में विभागों/निजी व्यक्तियों द्वारा दावे प्रस्तुत किये गये। तत्पश्चात एक आंकलन समिति का गठन किया गया जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक मऊ, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका परिषद मऊ, अधिशाषी अभियंता विद्युत वि0ख0 मऊ, अधिशाषी अभियंता लो0नि0वि0 मऊ, ए0आर0एम0 रोडवेज, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी मऊ, डीआईओ एनआईसी मऊ आदि विभागीय व तकनीकी अधिकारीगण सम्मलित रहे।

तकनीकी समिति द्वारा घटनास्थल मिर्जाहादीपुरा/थाना दक्षिणटोला परिसर व आस–पास के क्षेत्रों में सरकारी/निजी वाहनों एवं सरकारी/निजी सम्पत्ति की हुई छति के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी मोटरसाईकिल जलाकर छतिग्रस्त करने से हुई छति 09 लाख 79 हजार 792 रुपये, थाना दक्षिणटोला परिसर में मेस, कम्प्यूटर व बाउण्ड्रीवाल की हुई छति 02 लाख 07 हजार 526 रुपये, परिवहन विभाग की हुई छति 58 हजार 808 रुपये, विद्युत विभाग की छति 02 लाख 35 हजार 940 रुपये, नगरपालिका परिषद मऊ की हुई छति 72 हजार रुपये तथा पुलिस बल/पीएसी/आरएएफ के व्यवस्थापन में 27 लाख 98 हजार 835 रुपये व

जोनल मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट के वेतन व्यय 06 लाख 09 हजार 364 रुपये सहित कुल 49 लाख 62 हजार 265 रुपये की छति दर्शायी गयी।

उपरोक्त घटना में श्री केहरी सिंह सक्षम प्राधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) मऊ द्वारा **निम्नलिखित 26 अभियुक्तों द्वारा हुई कुल छति 49 लाख 62 हजार 265 रुपये का 1/26वां अंश अर्थात 01 लाख 90 हजार 857 रुपये, प्रत्येक निम्नलिखित अभियुक्तों से वसूल करने की आर0सी0 (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी की गयी है। जिसकी शीघ्र ही वसूल की जायेगी।**

उक्त 26 अभियुक्तों का विवरण निम्नवत है–

1. आसिफ चन्दन उर्फ मु0 आशिफ पुत्र एखलाक चन्दन निवासी मिर्जाहादीपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ।
2. फैजान पुत्र मुनौव्वर रजाई निवासी पुरालच्छीराय थाना दक्षिणटोला मऊ।
3. मजहर मेजर पुत्र मो0 मुस्तफा निवासी औरंगाबाद थाना दक्षिणटोला मऊ।
4. इम्तियाज नोमानी पुत्र मो0 शमशद निवासी चमनपुरा (डोमनपुरा) थाना दक्षिणटोला मऊ।
5. ओवाद उर्फ ओहादा पुत्र शमसुल हक निवासी फैजलगेट डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ।
6. सरफराज पुत्र सैफुद्दीन निवासी मुस्तफाबाद थाना दक्षिणटोला मऊ।
7. अल्तमस सभासद पुत्र मुजफ्फर निवासी अस्तूपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ।
8. अनीस पुत्र एकराम निवासी मदनपुरा तानावाली बाग थाना दक्षिणटोला मऊ।
9. जावेद उर्फ नाटे पुत्र इस्माईल निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर मऊ।
10. इसहाक पुत्र मकसूद खान निवासी काजीदामूपुरा थाना कोतवाली नगर मऊ।
11. आमिर होंडा पुत्र शकील निवासी भिखारीपुरा थाना कोतवाली मऊ।
12. खुर्शीद कमाल पुत्र रसीद अहमद निवासी काजीदामूपुरा थाना कोतवाली नगर मऊ।
13. दिलीप पाण्डेय पुत्र अनिल निवासी सहादतपुरा चित्रगुप्त मंदिर ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली मऊ।
14. आमिर पुत्र मो0 इम्तियाज निवासी राजारामपुरा थाना कोतवाली मऊ।
15. मुनौवर मुर्गा पुत्र जब्बर निवासी भरहूपुरा थाना कोतवाली मऊ।
16. शाकिर लारी पुत्र जावेद इकबाल निवासी क्यारीटोला थाना कोतवाली मऊ।
17. जैद पुत्र फिरोज निवासी क्यारीटोला थाना कोतवाली मऊ।
18. अजमल पुत्र फैजुलरहमान निवासी हुसैनपुरा थाना कोतवाली मऊ।
19. खालिद पुत्र इम्तियाज निवासी प्रेमाराय थाना कोतवाली मऊ।
20. शहरयार पुत्र इशरत निवासी बुलाकीपुरा थाना कोतवाली मऊ।
21. बहाव पुत्र अब्दुल गनी निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ।
22. मंजर कमाल पुत्र शकील अहमद निवासी भिखारीपुरा थाना कोतवाली मऊ।
23. जैदुल उर्फ जैदी पुत्र इम्तियाज निवासी राजारामपुरा थाना कोतवाली मऊ।
24. असलम पुत्र अबुलैस निवासी हुसैनपुरा थाना कोतवाली मऊ।
25. अफजाल उर्फ मुण्डा पुत्र मुर्तजा निवासी भरहू का पूरा थाना दक्षिणटोला मऊ।
26. अनस पुत्र रिजवान निवासी मलिक ताहिरपुरा थाना कोतवाली मऊ।

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 19.02.2021 को थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मतलूपुर मोड़ के पास से मु0अ0सं0 30/21 धारा 498ए,120बी,304बी भादवि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट में वांछित अभियुक्तगण चन्दन पुत्र रामजी, सीतीया देवी पत्नी रामजी निवासीगण बैजापुरा थाना दक्षिणटोला, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 64/21 धारा 376,406,506 भदावि0 व 67 आइटी एक्ट में वांछित अभियुक्त कमलेश यादव पुत्र धर्मदेव यादव निवासी कटवास थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 16 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 19.02.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा श्यामकुमार निवासी निषादनगर, आशा देवी, चन्द्रावती, मून्नी निवासीगण छेदापुरा थाना दक्षिणटोला, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा सतेन्द्र, रामचन्द्र निवासीगण अमिला थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा रामसिंघासन, संजय निवासीगण कादीपुर थाना हलधरपुर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा रामविलास, रामश्रय निवासीगण छपरा, सुमन, आशा, प्रमिला, गुडिया निवासीगण फूलेलपुरा, बलवन्त, प्रेमचन्द्र निवासीगण चकजमिन लिलारी थाना कोपागंज को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

- आज दिनांक 19.02.2021 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले द्वारा पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा सर्वप्रथम परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये इसके उपरांत महोदय द्वारा पुलिस लाइन स्थित सीसीटीएनएस शाखा, फिल्ड यूनिट, आरटीसी बैरिक, भोजनालय, परिवहन शाखा, डाग हैण्डलर शाखा, क्वार्टर गार्द, जीपी स्टोर, पुलिस लाइन आवास, निर्माणाधीन बैरिक आदि का गहनतापूर्वक निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा–निर्देश दिया गया।